

नगर निगम ऋषिकेश



जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)
व्यवसायिक सम्पत्ति - स्वकर निर्धारण प्रपत्र

पत्रावली सं०

सम्पत्ति स्वामी / अध्यासी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

सम्पत्ति संख्या.....

मौहल्ले का नाम.....

वार्ड संख्या व नाम.....

फार्म प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य है।

15 दिन के पश्चात् 500/- प्रतिदिन जुर्माना देय होगा।

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

स्वामी/अध्यासी का विवरण :-

- (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी/अध्यासी के पिता.....
- (तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
- (चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....
- (पांच) मोबाइल नं.....
- (छ:) अन्य विवरण यदि कोई हो.....

भवन या भूमि सम्बन्धी व्यौरा.....

- (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....
- (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....
- (तीन) अन्य विवरण यदि कोई हो.....
- (क) भवन अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-

- (एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
- (दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस, फाइबर या टीनशेड
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं

भवन निर्माण का वर्ष.....

पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

वार्षिक मूल्य की गणना.....

- (क) भवन का वार्षिक मूल्य.....
- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराये की मासिक दर.....
- (दो) नियमावली द्वारा विहित अनावासिक (Commercial) भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक.....
- (तीन) भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर [(एक) x (दो)].....
- (चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल.....
- (पांच) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर x आच्छादित क्षेत्रफल x 12 [(तीन) x (चार) x 12].....

- (ख) भूमि का वार्षिक मूल्य.....
- (एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराये की मासिक दर.....
- (दो) नियमावली द्वारा विहित अनावासिक भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक.....
- (तीन) भूमि [(एक) x (दो)] के लिये प्राप्त किराये की मासिक दर.....
- (चार) भूमि का क्षेत्रफल.....
- (पांच) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर \times आच्छादित क्षेत्रफल $\times 12$ [(तीन) \times (चार) $\times 12$].....
- (ग) कुल वार्षिक मूल्य क (पांच) + ख (पांच).....

7. सम्पत्ति किराये पर होन की दशा में किरायेदार का नाम.....
8. कर की गणना

$$(एक) \text{ सामान्य कर} = \frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{सामान्य कर की दर}}{100}$$

$$(दो) \text{ अन्य कर (कर का नाम)} = \frac{\text{यथा अवधारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$$

9. जमा किये गये कर का विवरण :

क्रम सं	कर का नाम	कर की धनराशि	चालान / प्राप्ति संख्या	दिनांक	बँक / कार्यालय का नाम

में वार्ड

के मौहल्ला में स्थित भवन संख्या का
स्वामी / अध्यासी एतदद्वारा घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये व्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक हस्ताक्षर
नाम

प्रपत्र – 'घ'
(नियम 3 देखिए)

अनावासिक भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर रख निर्धारण प्रपत्र

1. (एक) स्वामी/अध्यासी का नाम.....
(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता.....
(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता.....
(पांच) मोबाइल नं0.....
(छ:) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
2. भवन या भूमि का विवरण.....
(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....
(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में).....
(तीन) अन्य विवरण यदि कोई हो.....
3. अवस्थिति का विवरण –
(क) भवन या भूमि अवस्थित है :-
 (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
 (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति :-
 (एक) पक्का भवन, आर. सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
 (दो) अन्य पक्का भवन, एस्वेस्टस, फाइबर या टीनशेड
 (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं हैं
4. भवन निर्माण का वर्ष.....
5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष.....

सत्यापन

मैं..... वार्ड..... का

के मौहल्ला..... में स्थित भवन संख्या..... का
स्वामी / अध्यासी एतदद्वारा घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये व्यारे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को ना तो छिपाया गया है और ना ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

प्राप्ति रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
3. भवन/भूखण्ड संख्या.....
4. मौहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं0..... पर दर्ज कर प्राप्ति दी जा रही है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्राप्ति रसीद

1. स्वामी/अध्यासी का नाम.....
2. स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
3. भवन/भूखण्ड संख्या.....
4. मौहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं0..... पर दर्ज कर प्राप्ति दी जा रही है।

दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

क्र० सं	मौहल्लों के नाम	पक्का भवन आरसीओसी छत		अच्यु पक्का भवन		फल्गु भवन		मूख्यउद्दिसमें भवन न बना हो					
		सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई	सड़क की ओराई				
1	2	24मी0 से अधिक 24 मी0	12मी0 से कम 24 मी0	24मी0 से अधिक 24 मी0	12मी0 से कम 24 मी0	24मी0 से अधिक 24 मी0	12मी0 से कम 24 मी0	24मी0 से अधिक 24 मी0	12मी0 से कम 24 मी0				
1	देहरादून मार्ग, गंगा नगर, आवास विकास, हरिद्वार मार्ग, तिलक मार्ग, रेलवे मार्ग, आदर्श नगर, हीरालाल मार्ग, महन्त परशुराम मार्ग, मुख्यमार्ग, क्षेत्र मार्ग, लाला लाजपतराय मार्ग, वेदपाठी मार्ग, मेन बाजार, धाट मार्ग, नेहरू मार्ग, सदानन्द मार्ग, ऋषिलोक कालोनी, वीरभद्र मार्ग	2.00	1.50	1.30	1.15	0.90	0.70	0.65	0.50	0.35	0.25	0.25	0.25
2	मनीराम मार्ग, गोविन्द नगर, अद्वैतानन्द मार्ग, मानवेन्द्र नगर, पुराना बटीनाथ मार्ग, जीवनी माई मार्ग, मालवीय मार्ग, अवधूत आश्रम मार्ग, सोमेश्वर मार्ग, शास्त्री मार्ग, बनखण्डी मार्ग, आदर्श ग्राम, पुष्कर मन्दिर मार्ग	1.50	1.15	0.90	0.80	0.70	0.45	0.45	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25
3	मैरव मन्दिर, गीता नगर, न्यू सर्वहारा नगर, चन्द्रेश्वर मार्ग, चन्द्रेश्वर नगर, वाल्मीकि नगर, शान्ति नगर, रेलवे रोड, जाटव बस्ती, मोरोला नगर, त्रिवेणी कालोनी	1.25	0.90	0.70	0.65	0.45	0.40	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10

अनावासिक (Commercial) भवनों की श्रेणियों का वर्गीकरण एवं गुणक

क्र.सं.	मापदण्डि का विवरण	अनावासिक भवन की मापदण्डि किए जाने की दर
1.	होटल, पेंग गोस्ट हाउस 10 कमरों तक (बगेर वातानुकूलित)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना होटल 10 कमरों से अधिक (बगेर वातानुकूलित)
	समस्त होटल / पेंग गोस्ट हाउस (वातानुकूलित) 3 रुपार की सुविधा तक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
	होटल 4 रुपार और ऊपर वाले, बाएँ, पब, रेस्टोरेंट मध्य बार और कलब मध्यवार घरमार्थ घरमार्थाला/आश्रम/होटल जहां प्रति कमरा किरण्य 200 रु. प्रतिदिन या अधिक हो या जो व्यवसायिक दरों पर विद्युत का उपयोग कर रहे हो	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
2.	मॉर्ट्स	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का छः गुना
3.	सभी प्रकार के वाणिज्यिक भवन, शोरूम, बैंक कार्यालय, कोषिंग व प्रशिक्षण संस्थान, १००००एम०	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
4.	दुकानें / ढाला / रटाल (क) 10 वर्ग फीट तक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
	(ख) 100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
	(ग) 200 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
	(घ) 500 वर्ग फीट से अधिक	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
	(ङ) पूर्णतः अपवर्यक तेवरे व्यवसाय साथनी स्टाल (दूध, सब्जी, फल, नाई, मोर्ची, साइकिल-रिक्षा/टू कीलर मॉकेनिक)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का १.१ गुना
5.	(क) कलीनिक (केवल चिकित्सीय परामर्श हेतु उपयोगित)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
	(ख) अस्पताल / नर्सिंग होम परिवर्तनीयिक आइटोलोजिक सेक्टर, मैडिकल स्टोर, प्रयोगशालाये, खास्त्रय परिचर्या केन्द्र आदि	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
6.	फ्रीडा केन्द्र, जिम, शासीरिक खालील केन्द्र, मिट्टेना केन्द्र, मानोजन केन्द्र, चियेटर और सिनेमा हॉल	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
7.	(क) विना छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के खामित्व वाले)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
	(ख) छात्रावास सुविधा वाले रक्कूलों, कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के खामित्व वाले)	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
8.	पैट्रोल पप्प, गोरे एजेंट्सी, डीपो	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
9.	सामुदायिक भवन, विहार घर, चेंडिंग प्यार्इट, कल्याण मण्डप, वैयर हाउस, गोदाम, बलब आदि	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
10.	भवन मध्य मोबाइल टावर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के देसे सभी प्रतिभान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक एवं वित्तीय गतिविधियों में सकारात्मक हैं	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
11.	ओप्टोगिक इकाईयां (क) लघु	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का दो गुना
	(ख) मध्यम	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना
	(ग) तुहद	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का पांच गुना
12.	समस्त प्रकार के अनावासिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हैं	मौहल्लेवार आवासीय भवन हेतु नियत दर का तीन गुना

नोट : (क) पेंटोल पम्प का जो भूमिगत क्षेत्र या सरचना भूमिगत स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, कारखेट एरिया की गणना के लिये जोड़ी जायेगी।
 (ख) सचार/मोबाइल टावर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आक्षणित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिए कारपेट एरिया माना जायेगा।